प्रकरण सं0 :– 395/2008
दायर दिनांक :– 05.08.2008

अनवान

1. श्री मोहम्मद मुकर्रम पिता मोहम्मद खां देशवाली नि. जहाजपुर तह: जहाजपुर
2. श्री मोहम्मद शाहजहां पिता मोहम्मद सिकन्दर खान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री कालू लाल पिता जगन्नाथ माली नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अतुल जोशी, वकील वादीगण
2. श्री रितेश कांटिया, वकील प्रतिवादी सं. 1

:: निर्णय :: दिनांक 17.02.2020

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 7560/4542 रकबा 0.06 बीघा भुमि खातेदारी से वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा हैं। उक्त भुमि के प्रतिवादी पडोसी है जो लडाकू खूखांर प्रवृत्ति के हैं जो अपनी शक्ति के बल पर उक्त वादीगण की भुमि को छीनना चाहते है। व वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। दिनांक 31.05.08 को वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढी की जाकर वादीगण के हिस्से एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि की सीमा में पत्थर गाडे गये। वादी की कृषि भुमि के प्रतिवादीगण पडौसी हैं प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी कब्जा छोडने से मना हो गये तभी से प्रतिवादीगण खुखार एव लडाकु प्रवृत्ति के व्यक्ति होकर गरीब किसानों की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने के आदि है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि को शक्ति के बल जबरदस्ती नाजायज रूप से छीनना चाहता है। और वादी को बेदखल करना चाहता है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इसलिये वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी स्वंय अथवा अपने नौकरों ऐजेन्टों या परिवाजनों के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित भुमि के शांति पुर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे, न करावे न वादी को बेदखल करें न करावे न कब्जा करने की कोशिश करे। इसलिये वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी स्वंय अथवा अपने नौकरों ऐजेन्टों यां परिवाजनों के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित भुमि के शांति पुर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे, न करावे न वादीगण को बेदखल करें न करावे न कब्जा करने

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की और से श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रतिवादी का पुर्वजो के समय से कब्जा है प्रतिवादी सं. 1 30 वर्षो से इसमें अपने जानवर बांधता हैं व रह रहा हैं व प्रतिवादी का मकान बना हुआ हैं उक्त भुमि की जरीये वसीयत प्राप्त हुई थी। वह जन्म से ही प्रतिवादी के दादा ने प्रतिवादी को उक्त भूमि वसीयत से मालिक बनाया। पटवारी ने प्रतिवादी के विरूद्ध चल रहे बंटवारे के दावे में खाता खोलने की कह कर हस्ताक्षर कराये पर मौके पर अलग अलग बंटवारा कर कब्जा नही दिया न ही भूमि नापी। प्रतिवादी ने पपू को अपने हिस्से व कब्जे की भूमि नही दी। वह उसके लिये उसे मना कर दिया। वादी का दावा मियाद बाहर है।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2064 से 2067, नक्शा ट्रेस की प्रति तथा पत्थरगढी का मौका पर्चा की नकल की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किये गयें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया की वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादी सं. 1 ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 1 ने बहस के दौरान बताया की वाद पत्र में कुलिया तथ्य गलत है। जिससे वादीगण कोई सहायता जवाबदार के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। जिससे वादी का वाद पत्र निरस्त कराना फरमावे। मैने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादीगण के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि का वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2064–67 से होती है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादीगण की खातेदारी की भूमि है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 7560/4542 रकबा 0.06 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया गया कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

ब इजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

अनवान

1. श्री मोहम्मद मुकर्रम पिता मोहम्मद खां देशवाली नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्री मोहम्मद शाहजहां पिता मोहम्मद सिकन्दर खान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री कालू लाल पिता जगन्नाथ माली नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 395 / 2008

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अतुल जोशी का मिनजानिब मुदई व श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 7560 / 4542 रकबा 0.06 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया गया कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.02.2020

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

c@rider/dikri

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.02.19 14:53:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: